

बिहारीगंज-12/7/2025

11.06.2026

अभिलेख आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखा।

अवलोकन के प्रतीत होता है कि यह केस सूचक राजेश प्रसाद सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध B.N.J. की धारा-303(2) के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम प्रविष्टि B.N.J. की धारा-303(2) के तहत समर्पित किया गया है।

अंतिम प्रविष्टि स्वीकार किए जाने के बिन्दु पर अभिलेखन पत्र को सुना गया अभिलेख का अवलोकन किया गया। विदित होता है कि अनुसंधानकर्ता ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम प्रविष्टि सत्य-सूत्रहीन समर्पित किए हैं। विज्ञान अभिलेखन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि डोंग में अनुसंधानकर्ता सही दिशा में अनुसंधान किया गया है। संपूर्ण डोंग देखी की में वाद की ~~अज्ञात~~ कारवाई हेतु कोई आधार/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त न्याय एवं परिस्थितियों के आलोक में अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रविष्टि को स्वीकार किया जाता है तथा वाद की अंतिम कारवाई समाप्त की जाती है। बाकिल अभिलेख को अपने आदेश तब विनिर्णय नहीं दिए जाने के निर्देश के साथ निपटानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखक

अवध न्यायाधीश